न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झाडोल जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— श्री कपिल कुमार कोठारी, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः—30 / 2021

तारीख दायरः—02.08.20
तारीख निर्णयः—01.05.20

1. श्री सुरजमल पिता थावरा तबियाड निवासी हुण्डला तहसील फलासिया।

.........प्रार्

बनाम

1. श्री चन्दु पिता मंगला दरांगी निवासी हुण्डला तहसील फलासिया।
2. अंजमा पिता पुना सीवणा निवासी हुण्डला तहसील फलासिया।
3. श्रीमती बसुदेवी पत्नी मोहनलाल तबीयार निवासी हुण्डला तहसील फलासिया।
4. श्री सत्तीस पिता गोपाल भणात निवासी बुझा तहसील फलासिया।
5. श्री गुला पिता लाला डामोर निवासी बुझा तहसील फलासिया।
6. श्री धर्मा पिता हलु डामोर निवासी हुण्डला तहसील फलासिया।
7. श्री अमरा पिता हनु तबीयार निवासी हुण्डला तहसील फलासिया।

.................अप्रा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लेण्ड रे. एक्ट.

उपस्थित— प्रार्थीगण की ओर से— श्री रतनलाल गुर्जर

अप्रार्थी की ओर से— एक तरफा

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा हुण्डला पट सर्कल डैया तहसील फलासिया में आराजी नम्बर 504 / 344 रकबा 0.5000 है0 भूमि स्थित है, जि पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी के पास विपक्षी खातेदारी की आराजी भूमि स्थित है। विपक्षी आये दिन प्रार्थी को परेशान करते रहते है तथा भूमि जबरन प्रवेश कर दखलंदाजी करते है व घास लकडी इत्यादि को ले जाते है। प्रार्थी व विपक्षी भूमि आस पास होने से आये दिन पाली डोली को लेकर सीमांकन बाबत् विवाद होता रहता विपक्षी आये दिन दिन प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा करते रहते है। भविष्य में सीमा को ले किसी प्रकार का कोई विवाद नही हो इसलिये प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी करवाना निता आवश्यक हो गया है। अतः निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाव प्रार्थी की मौजा हुण्डला पटवार सर्कल डैया तहसील फलासिया की आराजी नम्बर 504 / 344 रक 0.5000 है0 भूमि का सीमांकन करवाया जाकर मौके पर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदा कराया जावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन म नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थि रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तत्पश्चात प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने प्रार्थना प अंकित किये गये है।

हमने विद्वान प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपल ...जात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी खातेदा

काश्तकार है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के पास विपक्षी की भूमि स्थित है से आये दिन सीमा का विवाद होता रहता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवा चाहते है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है। अप्रार्थीगण बावजुद सूच एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित रहे है, जिससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण को भी पत्थरग किये जाने में कोई आपत्ती नही है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीका किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पर साबित पाये जाने से स्वीक किया जाता है एवं मौजा हुण्डला पटवार सर्कल डैया तहसील फलासिया की आराजी न 504/344 रकबा 0.5000 है0 भूमि की मौके पर कब्जे सम्बन्धी विवाद नही होने की स्थिति में दो पक्षकारानों की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार फलासिया को कमिश्नर नियु किया जाता है। कमिश्नर फीस 2000/- रूपये प्रार्थी पक्ष अदा करेगा। पालना हेतु तहसील फलासिया को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सु गया।

उपखण्ड अधिकारी झाडोल जिला-उदयपुर (राज.)

(कपिल कुमार कोठारी)
उपखण्ड अधिकारी
झाडोल-उदयपुर
उपखण्ड अधिकारी
झाडोल, जिला-उदयपु